दिनांक 16.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 20/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के साथ अपराध, कानून व्यवस्था एवं पुलिस प्रबन्धन के संबंध में बैठक

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 16.10.2019 को मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 की गोष्ठी के पश्चात पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिये समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के साथ बैठक की गयी। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), अपर पुलिस महानिदेशक रेलवेज, पुलिस महानिरीक्षक, (अपराध) पुलिस महानिरीक्षक कानून–व्यवस्था सहित मुख्यालय के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस महानिदेशक, द्वारा अपराध, कानून–व्यवस्था एवं पुलिस प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रासंगिक बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक की गयी :–

- अपराध नियत्रंण/कानून व्यवस्था में और अधिक बेहतर कार्यवाही के संबंध में विचार–विमर्श करते हुये कार्ययोजना के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
- अभियोजन के संबंध में पूर्व में निर्गत निर्देशो के क्रम में कार्यवाही करते हुये जघन्य एवं संवेदनशील घटनाओं को चिन्हित कर लगातार मॉनीटरिंग करते हुये अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाये।
- पुलिस की आम छवि को और अधिक बेहतर बनाये जाने के संबंध में विचार–विमर्श किया गया एवं जनमानस की समस्याओं के अतिशीघ्र निराकरण एवं सहायता पर जोर दिया गया।
- महिला सम्बन्धी अपराधों के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्यवाही की जाये। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति घटित अपराधों को रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही करते हएु अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी की जाये तथा लगातार इसका अनुश्रवण किया जाये।

- साइबर क्राइम के अपराधों एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए कार्यवाही की जाये। साइबर अपराधों के अभियोगों में गुणवत्तापरक विवेचना के साथ–साथ लगातार अनुश्रवण भी किया जाये।
- यूपी–100 से प्राप्त सूचनाओं का सम्यक विश्लेषण व प्रभावी कार्यनिष्पादन एवं अनुश्रवण के लिये समग्र रणनीति बनाने हेतु निर्देश दिये।
- आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु त्यौहार बन्दोबस्त तथा आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में भी सभी को निर्देशित किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोगों में निरन्तर अनुश्रवण एवं सत्त प्रयास के फलस्वरूप अत्यधिक कम समय में अभियुक्त को मा0 न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोगों में निरन्तर अनुश्रवण एवं सत्त प्रयास के फलस्वरूप अभियुक्त को मात्र 36 दिवस में मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पॉक्सों एक्ट के अभियोग मे निरन्तर समीक्षा एवं अभियोजन के सत्त प्रयास से मा0 न्यायालय से पुनः ऐतिहासिक निर्णय आया, जिसमें जनपद औरैया के पॉक्सो एक्ट के द्वितीय अभियोग में 36 दिवस के अन्दर अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है। यह उत्तर प्रदेश के साथ भारत वर्ष की द्वितीय घटना होगी, जिसमें पीड़िता को इतनी शीघ्रता से न्याय मिला है, जिसमें दिनांक 09.09.2019 को अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 10.09.2019 को अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी। तत्पश्चात साक्ष्य संकलित कर दिनांक 19.09.2019 को अभियोग में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया, जिसे दिनांक 23.09.2019 को मा0न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत प्रत्येक दिवस साक्षी की सुनवाई करते हुए 16 कार्यदिवसों में ट्रायल के पश्चात दिनांक 16.10.2019 को अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 02 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह उत्तर प्रदेश पुलिस की विवेचनाओं में गुणवत्ता, दक्षता व वैज्ञानिक आधार पर साक्ष्यों का संकलन एवं विवेचना को उसके अन्तिम अन्जाम तक पहुॅचाने के लिए मा0 न्यायालय में संवेदनशीलता के साथ प्रभावी तौर पर सत्त पैरवी का परिचायक है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की पहली प्राथमिकता महिलाओं एवं बच्चों के प्रति घटित अपराधों को रोकने एवं उसके अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की रही। इसी क्रम में 24 अक्टूबर 2018 को प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मानीटरिंग सेल के गठन हेतु निर्देश दिये गये तथा मानीटरिंग सेल की प्रथम प्राथमिकताओं में पॉक्सो एक्ट सम्बन्धी अभियोगों की पैरवी और उनका अनुश्रवण एवं मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में होने वाली संयुक्त बैठक में ऐसे प्रकरणों को संज्ञान में लाने के निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में पॉक्सो एक्ट के चयनित अभियोगों की वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से परिक्षेत्रवार समीक्षा की जाती है। इस वीडियो

क्रान्फेसिंग में परिक्षेत्र स्तर के पुलिस अधिकारी के साथ–साथ मानीटरिंग सेल के निरीक्षक, अभियोगों के विवेचक एवं प्रत्येक जनपद के अभियोगों से सम्बन्धित अभियोजन शाखा के अधिवक्ता प्रतिभाग करते हैं।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ को दिये गये निर्देशों के क्रम में महिला सम्मान प्रकोष्ठ की योग्य महिला कर्मियों द्वारा चिन्हित पॉक्सो एक्ट के अपराधों के पीड़िताओं की प्रभावी काउंसलिंग भी करायी जा रही है।

इसके अतिरिक्त जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को जघन्य लैंगिक अपराधों की शीर्षकवार सूची तैयार कर, संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से घटते हुए क्रम में मानचित्र तैयार करने एवं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक व महिला पुलिस अधिकारी को 02–02 अभियोगों की वरीयता क्रम में पैरवी करने एवं पीडिता की काउंसलिंग एवं अनुमन्य आर्थिक सहायता के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार का परिणाम प्राप्त हुआ।

सजाओं की बढ़ती संख्या को देखकर पीडिता एवं ऐसे प्रकरणों के वादियों को किसी प्रकार का भय एवं उनकों कोई भयभीत न कर सकें, इसके लिए मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 28.08.2019 तक सभी जनपदों में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम–2018 लागू किया गया है तथा प्रत्येक जनपद में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सेल का गठन किया गया है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा जनपद औरैया के अभियोग में प्रभावी पैरवी करने वाले जितेन्द्र सिंह तोमर स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर व टीम को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा की गयी।

जनपद गाजीपुर/थाना नन्दगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 50—50 हजार रू0 के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **02 देशी पिस्टल 04 मैगजीन, 34 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **03 मोबाईल फोन बरामद**

दिनांक 16.10.2019 को थाना नन्दगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिहोरी ताल पर टूटी हुई पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित 02 अपराधी 1.मोहित उर्फ रवि, 2.राहुल घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 देशी पिस्टल 9एमएम मय 04 मैगजीन, 34 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 03 मोबाईल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनमें अभियुक्त मोहित उर्फ रवि के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग एवं अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लूट, हत्या का प्रयास, हत्या, अपहरण, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर परिक्षेत्र स्तर से 50—50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह लोग एक गैंग बनाकर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण आदि की घटनायें करते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नन्दगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मोहित उर्फ रवि निवासी कस्बा सैदपुर जनपद गाजीपुर।
2. राहुल राय निवासी देवरिया थाना जमानिया जनपद गाजीपुर।

<u>बरामदगी</u>

1. 02 देशी पिस्टल 9एमएम मय 04 मैगजीन, 34 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस
3. 03 मोबाईल फोन

<u>जनपद हरदोई/थाना पिहानी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा मय 02 जीवित व 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15.10.2019 की रात्रि थाना पिहानी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मझिला पिहानी रोड पर अहमि गांव के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी मोहित उर्फ खुजरा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 02 जीवित व 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई व खीरी के विभिन्न थानों में डकैती, हत्या का प्रयास आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना पिहानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 404/2017 धारा 395/412 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पिहानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. मोहित उर्फ खुजरा निवासी ग्राम रामपुर ग्रंट थाना पसगवां जनपद खीरी।

बरामदगी

1. 01 तमंचा मय 02 जीवित व 01 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.10.2019 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खतौली क्षेत्रान्तर्गत बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित वसीम उर्फ कद्दू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में 06 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. वसीम उर्फ कद्दू निवासी मोहल्ला जैननगर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल आदि

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

• पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस

• चोरी की मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 15.10.2019 की रात्रि थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उपाध्याय कैन्टीन के पास बिजनौर की ओर से आने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त छोटू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास, हत्या व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त थाना भोपा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 325/2019 धारा 302/201/404 भादवि में वांछित चल रहा था।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. छोटू निवासी ग्राम कासमपुर खोला थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस
2. चोरी की मोटर साइकिल

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भोपा

• पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 15.10.2019 की रात्रि थाना भोपा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बिहारगढ से मोरना के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिसमें कान्स0

प्रमोद घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त अटारिया घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध हरिद्वार व जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में डकैती, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त थाना भोपा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 526/2019 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने थाना भोपा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 526/2019 धारा 307 भादवि की घटना कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना भोपा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अटारिया निवासी ग्राम योगेन्द्र नगर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस

जनपद शामली/थाना आदर्शमण्डी

- **03 शराब तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रू0 कीमत की 185 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 दस टायरा ट्रक बरामद**

दिनांक 15.10.2019 की रात्रि थाना आदर्शमण्डी व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टिटौली पुलिस चौकी के सामने चेकिंग के दौरान 01 दस टायरा ट्रक से 03 शराब तस्कर 1.रितेश, 2.अजीत, 3.संजय को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 20 लाख रू0 कीमत की 185 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 01 दस टायरा ट्रक बरामद हुआ।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने उक्त बरामद अवैध अंग्रेजी शराब गैर प्रान्त से लाना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रितेश निवासी मधूटोला थाना खानपुर जनपद समस्तीपुर बिहार।
2. अजीत निवासी मधूटोला थाना खानपुर जनपद समस्तीपुर बिहार।
3. संजय निवासी मधूटोला थाना खानपुर जनपद समस्तीपुर बिहार।

बरामदगी

1. लगभग 20 लाख रू0 कीमत की 185 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
2. 01 दस टायरा ट्रक

जनपद गाजियाबाद/थाना मसूरी

- **शराब तस्कर गिरफ्तार**
- **60 लाख रू0 कीमत की 1000 पेटी अवैध शराब**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 15.10.2019 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईस्टर्न पैरीफेरल हाईवे से उतरने वाले रास्ते पर टोल टैक्स के पास शराब तस्कर राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 60 लाख रू0 कीमत की 1000 पेटी अवैध शराब व 01 ट्रक बरामद हुयी।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने उक्त बरामद अवैध शराब पंजाब प्रांत से लाना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजकुमार निवासी कोट सद्दीक काशीनगर जालंधर पंजाब।

बरामदगी

1—60 लाख रू0 कीमत की 1000 पेटी अवैध शराब।

2—01 ट्रक।

————